

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2017/1154

दिनांक:- 8/11/18

आदेश


इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा जयपुर के सैक्टर 8 में स्थित मध्यम आय वर्ग "ब" (बी+एस+9) के 10 फ्लेट्स का खुली बिक्री योजना के अन्तर्गत नगद भुगतान पद्धति द्वारा निस्तारण करने हेतु उप आवासन आयुक्त वृत्त तृतीय/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता प्रथम द्वारा की गई अनुशंषा के आधार पर खुली बिक्री योजना नगद भुगतान पद्धति के माध्यम से निस्तारण करने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	आय वर्ग	फ्लेट संख्या	कुल योग
1.	मध्यम आय वर्ग "ब"	8/MB/B-3/901, 8/MB/B-3/902, 8/MB/B-4/203, 8/MB/B-4/607, 8/MB/B-4/804, 8/MB/B-4/807, 8/MB/B-5/504, 8/MB/B-5/701, 8/MB/B-5/901, 8/MB/B-6/906	10
कुल योग			10

खुली बिक्री योग्य में फ्लेटों के निस्तारण से पूर्व निम्न शर्तों की पालना सुनिश्चित करें।


1. फ्लेटों (आवासों) आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है।
2. उक्त फ्लेटों (आवासों) के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य फ्लेट खुली बिक्री योजना हेतु रिक्त नहीं है।
3. उक्त फ्लेटों (आवासों) का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. फ्लेटों (आवासों) का निस्तारण खुली बिक्री योजना के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती यह सुनिश्चित कर ही निस्तारण करें।
5. प्रस्तावित फ्लेटों (आवासों) में किसी भी प्रकार का विवाद/न्यायिक विवाद लम्बित नहीं है एवं विधिवत् निरस्त किये गये हैं साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि निस्तारण हेतु प्रस्तावित फ्लेटों बाबत किसी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी फ्लेट किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।

उक्त को माननीय आवासन आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा0आ0म0, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, रा0 आ0 मा0, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबंधक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, रा0आ0म0, वृत्त तृतीय, जयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड ग्यारह, रा0आ0म0 जयपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक